न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	3/2025
दायर दिनांक	:	15.04.2025
निर्णय दिनांक	:	02.07.2025

1. नरसीलाल पुत्र स्व. रघुवीरसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. प्रहलाद पुत्र स्व. रघुवीरसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
3. बच्चूसिंह पुत्र स्व. रघुवीरसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
4. भूपसिंह पुत्र स्व. रघुवीरसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
5. राधेश्याम पुत्र स्व. रघुवीरसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
6. जयबाई पत्नी रमेश जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
7. नाबालिग मनीष पुत्र रमेश जरिये संरक्षक माता जयबाई पत्नी रमेश जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थिति :	अपीलान्ट्स की ओर से	श्री उम्मेदसिंह गुर्जर, अधिवक्ता
	रेन्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से	श्री किशन सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

उपखण्ड अधि. उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007
तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा

—: निर्णय :—

अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खाता संख्या 46 के खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399, 404, 405, 406, 407, 408, 409 कुल किता 10 कुल रकबा 4.37 है. का पूर्व में खातेदार रघुवीरसिंह पि. काना था जो कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के ससुर व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 के दादा थे। उक्त खातेदार रघुवीरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा खोला गया। उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम नरसीलाल [illegible] वह नरसिंह गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण में अंकित आराजी के वर्तमान खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 7 है। अपीलान्ट का सही नाम आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, शैक्षणिक दस्तावेज में नरसीलाल है, जो सही है और नरसीलाल व नरसिंह एक ही व्यक्ति है। अपीलान्ट दिनांक 24.03.2025 को ग्राम पंचायत जौपाडा में फार्मर आईडी कैम्प में फार्मर आईडी बनवाने के लिए गया तब नरसिंह व नरसीलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 16:43:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

अन्तर के कारण अपीलान्ट की फार्मर आईडी नहीं बन पायी। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्ड कार्यालय से अपनी पूर्व की जमाबन्दी व विरासत के नामान्तकरण की नकल निकलवायी गयी तब अपीलान्ट को पता चला कि यह गलती विरासत का प्रश्नगत नामान्तकरण खोला गया उसमें हुयी है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश फरमावें कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा दिनांक 20.09.2007 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 98 में एवं हाल जमाबन्दी में अंकित अपीलान्ट का नाम नरसिंह को दुरुस्त कर नरसीलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। मूल नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलान्ट की ओर से अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस के दौरान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से कोई आपत्ति नहीं जतायी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पाडली तहसील दौसा स्थित कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 4.37 है॰ में रघुवीर सिंह पुत्र काना कौम गूजर की विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा मु॰ फत्तीदेवी बेवा रघुवीर सिंह, बच्चूसिंह नरसिंह पि॰ रघुवीर सिंह, मु॰ जगनीदेवी बेवा रघुवीर सिंह, राधेश्याम रमेशसिंह भूपसिंह प्रहलादसिंह पि॰ रघुवीर सिंह कौम गूजर सा॰देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जनाधार कार्ड की छायाप्रति में अपीलान्ट का नाम नरसी लाल गुर्जर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच, ग्राम पंचायत जौपाडा के पत्र दिनांक 30.05.2025 अन्तर्गत अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नरसीलाल गुर्जर पुत्र रघुवीर गुर्जर दुरुस्त किये जाने के तथ्य अंकित किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से कोई आपत्ति नहीं जतायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रतीत होता है कि सरपंच, ग्राम पंचायत जौपाडा ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 स्वीकार करते समय अपीलान्ट का वास्तविक एवं सही नाम नरसीलाल के स्थान पर नरसिंह के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। अतः नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 ग्राम पाडली तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जौपाडा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 20.09.2007 ग्राम पाडली तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जौपाडा को मात्र अपीलान्ट के हक–हिस्से तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण से संबंधित आराजी के खातेदारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलान्ट के वास्तविक एवं सही नाम के आधार पर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तकरण भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:47 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा